



न्यायालय, श्रीमान राजस्व मण्डल ज्वालिधर सर्किट रोवा म.प्र.
R 5112-5715

66



रमेश कुमार सेन तनय स्व. श्री जगत्देव सेन उम्र 58 वर्ष, नि. मोहल्ला

पेशा नौशरी.

अमहिया तह. हजूर, जिला-रोवा म.प्र. ---- आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

लालजी सेन तनय सरमन सेन उम्र वर्ष, पेशा- निवासी

श्री अचय पांडेय एड
दारा पेशा 19-10-15

कलकत्ता हाफ कोर्ट मोहल्ला कटरा रोवा, तह. हजूर, जिला-रोवा म.प्र. --- अन आवेदक/गैर निगरानीकर्ता
समस्त मण्डल सं. प्र. 19-10-15
(सर्किट कोर्ट) रोवा

निगरानी आवेदन पत्र विरुद्ध न्यायालय श्रीमान
कमिश्नर रोवा संभाग रोवा म.प्र. के प्रकरण क्र.
73/अमोल/2013-14 में वारित आदेश दिनांक
19.8.2015

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.
श्र-रा.सं.

मान्यवर,

निगरानी आवेदन पत्र के आधार निम्न है:-

संक्षिप्त विवरण

1. यह कि विवा दित प्लॉट नं. 1589 रकबा 0.04 ए. स्थित मोहल्ला कटरा जो. एम. एच. के सामने जिसमें मकान नं. गुराना 337/10 तथा मकान नं. नया 336/10 स्थित है, जो प्लॉट क्र. 51 बी. ब्लॉक क्र. 143 रकबा 1744 वर्ग फीट है, जो रामाधीन की सम्पत्ति है, रामाधीन के पुत्र जगत्देव व दो पुत्रियां माखती देवी विधवा वत्नी सरमन प्रसाद एवं पियरिया देवी विधवा वत्नी मुहीलाल नामित थे।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.5112-II/15

जिला-रीवा

रमेश कुमार सेन / लालजी सेन

(1)	(2)	(3)
22.03.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूंकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे, तत्पश्चात् प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

M